न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1316/2026

सी.एन.आर.नं.–यू0पी0जी0डी0 01–003824–2026,

प्रभुनाथ पुत्र दीनानाथ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम धोबहा कूकनगर ग्रन्ट, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

————–प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

————– अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–64/2026,
धारा–137(2),87 भा0न्या0सं0
थाना–खोड़ारे, जनपद–गोण्डा।

प्रथम जमानत आदेश

01. प्रार्थी/अभियुक्त प्रभुनाथ द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–64/2026, धारा–137(2),87 भा0न्या0सं0, थाना–खोड़ारे, जनपद गोण्डा में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पैरोकार दीनानाथ के शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियूक्त प्रभुनाथ के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी निर्दोष है, मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत हे। प्रार्थी अभियुक्त ने कोई अपीराध कारित नहीं किया है,महज हैरान व परेशान करने की नियत से रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी की आयु मात्र 20 वर्ष है, वह एक युवा श्रमिक है तथा जीवन के निर्माशील चरण में होने के कापरण उसकी निरंतर निरूद्धता उसके भविष्य पर प्रभाव डाल सकती है। प्रार्थी दिनांक–21.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी को जातिगत वैमनस्य एवं ग्राम्य राजनीतिक गुटबन्दी के कारण दुर्भावनावश इस मुकदमें में नामजद किया गया है। प्रार्थी की छवि समाज मे धूमिल करने के उद्देश्य से वादिनी मुकदमा द्वारा रंजिशवश व दुर्भावनावश प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध पंजीकृत अपराध की निष्पक्ष विवेचना विवेचक द्वारा नहीं की गई है। वादिनी द्वारा कथित घटना की सूचना स्थानीय थाने पर काफी सोच समझ कर की गई है। कथित घटना दिनांक–08.04.2026 को रात्रि 8 बजे की बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–10.04.2026 को समय 12.38बजे दर्ज कराई गई है। एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में लगभग दो दिन का विलम्ब हुआ है, जिसका कोई सन्तोषजनक अथवा उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त विलम्ब अभियोजन कथानक की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करता है। प्रार्थी ने न तो किसी को विवाह हेतु बहला फुसलाया है और न ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध अथवा अनुचित कृत्य कारित किया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रारम्भ में केवल धारा–137(2)बी.एन.एस. अंकित थी, जबकि बाद में धारा–87 बी.एन.एस. जोड़ी गई है, जिसका स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्यों से समथ्रन नहीं होता है। प्रकरण की विवेचना लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र तैयार होकर प्रेषण की प्रकिया में है। अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी अथवा साक्ष्य संकलन शेष नहीं है, जिस कारण प्रार्थी की आगे की न्यायिक अभिरक्षा आवश्यक नहीं है। मुकदमा उपरोक्त माननीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा विचारण पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.22 11:03:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी को अपने बचाव में प्रभावी ढंग से साक्ष्य एवं अन्य सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करने तथा मुकदमें की समुचित एवं प्रभावी पैरवी करने के लिये जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। कथित घटना के समस्त गवाह वादिनी मुकदमा के परिवारीजन अथवा हितसम्बन्धी व्यक्ति है तथा घटना कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रथ्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक की तथ्यता पर गमीर संदेह उत्पन्न होता है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण में न अभियुक्त रहा है और न ही वह कभी किसी मामले में दण्डित हआ है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय मे न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार उचित प्रतिभू देने को तैयार है। प्रार्थी बाद जमानत, जमानत प्राविधानों का दुरूपयोग नहीं करेगा और न्यायालय उपस्थित आता रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा। प्रार्थी साक्ष्य या गवाहो के साथ किसी भी प्रकार से छेड़ छाड़ नहीं करेगा। मामले के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तो को स्वीकार करने के लिये तैयार है। न्यायहित में प्रार्थी को जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

02. प्रार्थना पत्र के आलोक में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गई। थाने आख्या प्राप्त होकर संलग्न है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त वादिनी मुकदमा की नावालिग लड़की पीड़िता को बहला फुसला शादी करने के आशय से भगा ले गया था। अब तक विवेचना व साक्ष्य संकलन से अभियुक्त के विरूद्ध कारित अपराध का पर्याप्त साक्ष्य है। अभियुक्त अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। अभियुक्त जमानत शर्तो का उल्लांघन कर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है और पीड़िता पर दबाव डाल सकता है या फरार हो सकता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आधारहीन, बलहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

03. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि वादी द्वारा प्रार्थी को साजिश करके फर्जी तरीके से रंजिशन फंसाया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती न किये जाने का कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे फर्जी तौर पर फंसा दिया गया है। प्रार्थी पर वादी द्वारा लगाए गए आरोप के तथ्य झूठे हैं। अभियुक्त निर्दोष है तथा वह जमानत पाने का अधिकारी है।

04. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसला कर शादी करने के लिये भगा ले गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

05. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों, प्राथमिकी, के कथनों तथा थाना आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

06. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री प्रीती उम्र 14 वर्ष को बहला फुसला कर, शादी का झांसा देकर दिनांक–08.04.2026 को रात 8 बजे विपक्षी प्रभू पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम कूकनगर ग्रन्ट धोबहा, थाना खोड़ारे जिला गोण्डा ने अपनी माता बंदना, व भाई रिंकू के सहयोग से प्रीती को भगा कर लेकर चला गया। काफी खोजबीन किये और रिश्तेदारो से पता किया, किन्तु उसका कोई पता न चलने की थाने पर सूचना दिया।

07. केस डायरी एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी की पुत्री को शादी करने के आशय से बहला फुसला कर भगा ले गया है और वादिनी मुकदमा की पुत्री अभियुक्त

के साथ बरामद की गई है।

08. प्रस्तुत प्रकरण की केस डायरी के अनुसार पीड़िता के बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अंकित किए गए हैं, जिनमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसका नाम प्रीती है, उसके पिता का नाम केशवराम है। वह धोबहा की रहने वाली है। उसकी उम्र 14 वर्ष है। वह प्राइमरी स्कूल बंदी से 5वी तक की पढ़ाई की है। वह प्रभु से एक साल से फोन से बातचीत करती थी, वो उसी के गांव का ही रहने वाला है। भोलू जो अपने फोन से प्रभु से उसकी बात कराता था, उसी के गांव का ही रहने वाला है। प्रभु का भाई रिंकू उससे कहता रहता था कि तुम प्रभु के साथ चली जाओं, कुछ नहीं होगा, तो वह दिनांक–08.04.2026 को रात करीब 8 बजे अपरे घर से अकेले निकली और घर के बाहर उसे प्रभु का भाई रिंकू मिला, जो उसे अपने साथ धोबहा घाट तब पैदल लेकर गया, वहां प्रभु मिले और उसे लेकर पूने गये, जहॉ पुलिस स्टेशन के पास बस से उतरते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सी.डबलू.सी. लेकर गये, जहॉ 8 दिन रखे, उसके बाद यहां की पुलिस गई और लेकर यहा चली आई। पीड़िता के बयान धारा–183 बी0एन0एस0एस0 में अनुसार वह प्रभु के साथ पूणे ट्रेन से गई थी। वह दिनांक–08.04.2026 को गई थी। वह हास्टल में रही थी। वह 20.04.2026 को वापस आई। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। मै अपने घर वालो के पास वापस जाना चाहती हूॅ। अभियुक्त द्वारा उसे बहला फुसला कर या शादी की बात करके मुम्बई ले जाने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। जहॉ तक पीड़िता के आयु का प्रश्न है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही वादी द्वारा पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष अंकित है। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में 17 वर्ष बताया है। मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा किसी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष नहीं है। जहॉ तक नावालिग होने का प्रश्न है तो इसका निस्तारण विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आपेक्षित है। अभियुक्त दिनांक–21.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

09. अतः पीड़िता के बयान, अपराध की गम्भीरता एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रभुनाथ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–64/2026, धारा–87,137(2) भा0न्या0सं0, थाना–खोड़ारे, जनपद गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1316/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा smt. Bachchi Devi vs. State of u.p. neutral citation 2025 Allc 136034 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/रू0 के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तो की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे–

1– अभियुक्त अन्वेषण, जॉच व विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये प्रत्येक्ष या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2– अभियुक्त अन्वेषण, जॉच व विचारण में सहयोग करेगा तथा आहूत किये जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान इस प्रकार के मामलो में संलिप्त नहीं होगा।

4– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन, साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जब कि गवाह उपस्थित हो और आवेदक बयान के समय धारा–351बी. एन.एस.एस. के बयान के समय अपने मामले की कार्यवाही

प्रारम्भ होनेके समय उपस्थित रहेगा।

5— ऐया करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तो का दुरूपयोग मानते हुये उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाये।

(मनोज कुमार)
जे0ओ0 कोड़—यू.पी.3835
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, गोण्डा।

दिनांक—08.06.2026